

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] No. 253] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 12, 2019/चैत्र 22, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 12, 2019/CHAITRA 22, 1941

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. 304(बा).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 200 और 203 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात :--

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2019 है।
- (2) ये तारीख 12 मई, 2019 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 में, परिशिष्ट 2 में -
  - (क) प्रारूप संख्यांक 16 में,-
  - (i) "भाग क" के पश्चात आने वाले "टिप्पण" का लोप किया जाएगा:
  - (ii) "भाग ख (उपाबंध)" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-

### "भाग ख (उपाबंध)

संदत्त वे	संदत्त वेतन और कोई अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे									
सकल वेतन										
(क)	धारा 17 (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन		रु							

2145 GI/2019 (1)

	1-10: 2 0 0 0 2	1	1	
(ख)	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्रारूप संख्यांक 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)		र	
(ग)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्रारूप संख्यांक 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)		₹	
(ঘ)	कुल			₹
(ड.)	अन्य नियोजक (कों) से प्राप्त रिपोर्ट की गई वेतन की कुल रकम		₹	
2.	घटाएं: धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते			-
(क)	धारा 10 (5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता		₹	
(ख)	धारा 10(10) के अधीन मृत्यु-सह-निवृत्ति उपदान		₹	
(ग)	धारा 10(10क) के अधीन पेंशन का संराशित मूल्य		₹	
(घ)	धारा 10(10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकद		₹	
(ड.)	धारा 10(13क) के अधीन मकान किराया भत्ता		₹	
(च)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम			
	खंड	₹		
		₹		
(छ)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की कुल रकम		₹	
(ज)	धारा 10 के अधीन दावाकृत छूट की कुल रकम [2(क)+2(ख)			₹
	+2(ग) +2(ঘ) +2(इ.) +2(छ)]			
3.	वर्तमान नियोजक से प्राप्त वेतन की कुल रकम[1(घ)-2(ज)]			₹
4.	घटाएं: धारा 16 के अधीन कटौतियां			
(क)	धारा 16(iक) के मानक कटौती		₹	
(ख)	धारा 16(ii) के अधीन सत्कार भत्ता		₹	
(ग)	धारा 16(iii) के अधीन नियोजन पर कर		₹	
5.	धारा 16 के अधीन कटौतियों की कुल रकम [4(क) +4(ख) +4(ग)]			₹
6.	"वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय [(3+1(ड.)-5)]			₹
7.	जोडें: धारा 192(2ख) के अधीनानुसार कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई	नोई अन्य आय	1	1
(क)	स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रस्तावित कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई गृह संपत्ति से आय (या ग्राह्य हानि)		₹	
(ख)	स्रोत पर कर की कटौती के लिए प्रस्तावित अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय		₹	
8.	कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय की कुल रकम [7(क)			₹

9.	सकल कुल आय (6+8)		रु
10.	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां		
		सकल रकम	कटौती योग्य रकम
(ক)	धारा 80ग के अधीन जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय आदि की बाबत कटौती	₹	₹
(ख)	धारा 80गगग के अधीन कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती	₹	₹
(ग)	धारा 80गगघ(1) के अधीन पेंशन स्कीम में कर दाता द्वारा अभिदाय की बाबत कटौती	₹	₹
(ঘ)	धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ(1) के अधीन कुल कटौती	₹	रु
(ड.)	धारा 80गगघ (1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में संदत्त/ जमा की गई रकम की बाबत कटौतियां	₹	₹
(च)	धारा 80गगघ(2) के अधीन पेंशन स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय की बाबत कटौती	₹	₹
(छ)	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती	₹	₹
(ज)	धारा 80ड. के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की बाबत कटौती	₹	₹

		सकल रकम	अर्हक रकम	कटौती योग्य
				रकम
(묡)	धारा 80 छ के अधीन कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान	₹	₹	₹
	की बाबत कुल कटौती			
(স)		₹	₹	₹
	कटौती			
(ट)	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य रकम			
	धारा	₹	रु	₹
	धारा	₹	रु	₹
	धारा	₹	₹	₹
	धारा	₹	₹	₹
	धारा	₹	₹	₹
	धारा	₹	₹	₹
		₹	₹	₹
(১)	अध्याय 6 -क के किसी अन्य उपबंध(धों) के अधीन कटौती योग्य	₹	₹	₹
	रकम का योग			
11.	अध्याय 6-क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग			₹
	[10(क) +10(ख) +10(ग) +10(घ) +10(ड.) +10(च) +10(छ)			
	+10(ज) +10(झ) +10(ञ) +10(ठ)]			

12.	कुल कर योग्य आय(9-11)			₹		
13.	कुल आय पर कर			रु		
14.	धारा 87क के अधीन रिबेट, यदि लागू हो			₹		
15.	अधिभार, जहां कहीं लागू हो			₹		
16.	स्वास्थ्य और शिक्षा उप कर			रु		
17.	संदेय कर (13+15+16-14)			रु		
18.	घटाएं: धारा 89 के अधीन राहत (ब्यौरे संलग्न करें)			रु		
19.	शुद्ध संदेय कर (17-18)			रु		
	सत्य					
मैं,	पुत्र/पुत्रीजो (पदनाम) र्क	ो हैसियत से कार्य कर रहा/रही	हूँ, यह प्रमाणित कर	ता/करती हूं कि		
ऊपर दी	ंगई जानकारी सत्य, पूर्ण और सही है तथा यह लेखा ब	हियों दस्तावेजों, स्रोत पर कर	की कटौती के विव	रणों और अन्य		
उपलब्ध	अभिलेखों पर आधारित है।					
स्थान		(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)				
तारीख		पूरा नाम				

#### टिप्पण:

- 1. सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 1 में जानकारी भरें यदि कर को आय कर चालान के पेश किए बिना संदत्त किया जाता है और यदि कर को आय कर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 2. गैर सरकारी कटौतीकर्ता, भाग क के मद 2 में जानकारी भरें।
- 3. कटौतीकर्ता, आय कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरणों के विषय में है ।
- 4. यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती केवल एक नियोजक के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाण पत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- 5. (i) यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अविध से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था।
  - (ii) निर्धारिती के विकल्प पर प्ररूप सं. 16 में प्रमाण पत्र का भाग ख (उपाबंध) प्रत्येक नियोजक या अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा ।
- 6. भाग क के मद 1 और मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किए गए कर के लिए स्तंभ में कर, अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की कुल रकम उल्लिखित करें।
- 7. कटौतीकर्ता भाग ख (उपाबंध) को कर्मचारी को देने से पहले मद संख्या 2(च) और 10(ट) में ब्यौरे, जहां कहीं उपलब्ध हों, सम्यक् रूप से भरेगा ।";

## ख) प्रारूप सं. 24थ में, "उपाबंध 2" के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात् :-

				"उपाद	ांघ 2		"उपाबंध 2										
	वित्तीय वर्षके दौरान संदत्त या जमा किए गए वेतन और शुद्ध संदेय कर के ब्यौरे																
क्र. सं.	कर्मचारी का स्थायी लेखा सं.	कर्मचारी का नाम	व्यक्ति, जिसकी कटौती की गई है, का प्रकार (ज्येष्ठ नागरिक, अति ज्येष्ठ नागरिक, अन्य)	वह तारीख, जिससे और वह तारीख, जिस तक चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान नियोजक के साथ नियोजित है (दिन/मास/वर्ष)	धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सकल वेतन	धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्रारूप सं 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)	धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्रारूप सं 12खक के अनुसार, जहां कहीं लागू हो)	वर्तमान नियोजक से प्राप्त सकल वेतन की कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण-1 देखें)									
(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)									

अन्य नियोजक (नियोजकों) से प्राप्त वेतन की रिपोर्ट की गई कुल रकम (वेतन की परिभाषा के लिए टिप्पण-1 देखें)	धारा 10(5) के अधीन यात्रा रियायत या सहायता	धारा 10 (10) के अधीन मृत्यु-सह- निवृत्ति उपदान	धारा 10 (10क) के अधीन पेंशन का सरांशीकृत मूल्य	धारा 10 (10कक) के अधीन छुट्टी वेतन नकदीकरण के समतुल्य नकदी	धारा 10(13क) के अधीन गृह किराया भत्ता	यदि छूट का दावा धारा 10(13क) के अधीन किया जाता है तो भू- स्वामी का स्थायी लेखा सं. (टिप्पण-3 देखें)	धारा 10 के अधीन किसी अन्य छूट की रकम	धारा 10 के अधीन दावा की गई छूट की कुल रकम (340+341+342+ 343+344+346)	धारा 16(झक) के अधीन कुल कटौती
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

धारा	धारा	"वेतन" शीर्ष के अधीन	कर्मचारी	यदि आवास	धारा	सकल कुल	धारा	धारा	धारा
16(ii) के	16(iii) के	प्रभार्य आय [(338+339-	द्वारा रिपोर्ट की	ऋण पर ब्याज का	192(2ख) के	आय (351+352+	80ग के अधीन	80गग के	80गगघ(1) के अधीन
अधीन कुल	अधीन कुल	(347+348+349+350)]	गई गृह संपत्ति से	दावा धारा 24(ख) के	अनुसार स्रोत पर	353+354)	जीवन बीमा	अधीन कतिपय	अधिसूचित पेंशन स्कीम
<sup>जुग्ल</sup> कटौती	<sub>युख</sub> कटौती		आय (या अनुज्ञेय	अधीन किया गया है तो	की गई कर		प्रीमियम , भविष्य	पेंशन निधियों	में करदाता द्वारा
			हानि), जिसे धारा	उधार देने वाले का	कटौती के लिए		निधि आदि में	में अभिदाय	अभिदाय के सम्बन्ध में
			192(2ख)	स्थायी लेखा	प्रस्थापित		अभिदायों	के	कटौती कटौती
			के अनुसार, स्रोत पर	सं. (टिप्पण-4 देखें)	अन्य स्त्रोत		के सम्बन्ध में कटौती	सम्बन्ध में	

			की गई कर कटौती के लिए प्रस्थापित किया गया		शीर्ष के अधीन आय			कटौती	
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

धारा 80गगघ(1ख) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन संदत्त या जमा की गई रकम के सम्बन्ध में	धारा 80गगघ(2 ) के अधीन अधिसूचित पेंशन स्कीम में नियोजक द्वारा अभिदाय के सम्बन्ध में कटौती	धारा 80घ के अधीन स्वास्थ्य बीमा प्रामियम के सम्बन्ध में कटौती	धारा 80ड़ के अधीन उच्चतर शिक्षा के लिए ऋण पर ब्याज के सम्ब न्ध में कटौती	धारा 80छ के अधीन कतिपय निधियों , पूर्त संस्थाओं आदि में दान के सम्बन्ध में कुल कटौती	धारा 80नन क के अधीन बचत खाते में निक्षेपों पर ब्याज के सम्बन्ध में कटौती	अध्याय 6-क के किसी अन्य उपबंध (उपबंधों) के अधीन कटौती योग्य रकम	अध्याय 6-क के अधीन कुल कटौती योग्य रकम [356+357+358 (1,50,000 रुपए तक सीमित)+359+360+361+ 362 +363+364+365]	कुल कराधेय आय (355-366)	कुल आय पर आय कर
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(366)	(368)

धारा 87क के अधिभार , स्वास्थ्य जब वेतन अधिन रिबेट, जहां कहीं और शिक्षा आदि का यदि लागू हो उपकर संदाय विभाग किए वर्तमान (नियोजकों) या लिए स्रोत विभाग हो उपकर संदाय -(369+372)] नियोजक कटौतीकर्ता पर कटौती वकाया के द्वारा स्रोत (कटौतीकर्ताओं) किए गए कर	(+) या अधिक कर कटौती(-) (373-376)
विकास के   वास मोत (क्रुरीवीकर्ताओं)   किस सार्	(373 376)
	1 (3/3-3/0)
रूप में या पर कटौती द्वारा स्रोत पर की कुल	
अग्रिम के किए गए कर कटौती किए रकम	
रूप में की कुल रकम   गए कर की (374+375	
किया   प्रित्येक   रिपोर्ट की गई	
जाता है, कर्मचारी के रकम) वह	
तब धारा   <sub>सम्बन्ध</sub> में आय, जिसे	
अधीन तिमाहियों के   कुल कराधेय	
आय कर   लिए उपाबंध   आय की	
1 के स्तम्भ संगणना करने	
का योग] किया गया है)	
(369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376)	(377)

		1	l	l		

### टिप्पण :

- 1. वेतन के अन्तर्गत मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन (धारा 10(10) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न) फीस, कमीशन, बोनस के अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 (1984 का 8), नियोजन के पर्यवसान पर या उसके सम्बन्ध में किए गए संदायों सहित किसी वेतन या मजदूरी के बदले में, या उसके अतिरिक्त परिलब्धियां, लाभ, अनुपभुक्त छुट्टी का किसी अविध के सम्बन्ध में प्राप्त कोई संदाय (धारा 10(10कक) के अधीन छूट प्राप्त से भिन्न), आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 6 के अनुसार कर से प्रभार्य कोई मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में लेखा के अतिशेष में कोई वार्षिक अभिवृद्धि, आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-क के नियम 11 के उपनियम (4) के अनुसार कोई राशि, जो कर्मचारी द्वारा प्राप्त समझी जाए । धारा 80गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या 'वेतन' शीर्ष के अधीन आयकर से प्रभार्य कोई अन्य राशियां भी आती हैं।
- 2. जहां कोई नियोजक किसी कर्मचारी को संदत्त परिलब्धियों से कटौती करता है या उस कर्मचारी के किन्हीं अभिदायों को उसकी ओर से किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में संदाय करता है, वहां ऐसी सभी कटौतियों या संदायों को विवरणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- 3. भू-स्वामी का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से वहां दिया जाना चाहिए, जहां पूर्व वर्ष के दौरान संदत्त समग्र किराया एक लाख रुपए से अधिक है।
- 4. उधार देने वाले का स्थायी लेखा संख्यांक अनिवार्य रूप से वहां दिया जाना चाहिए, जहां ऐसे आवास ऋण, जिस पर ब्याज का संदाय किया गया है, किसी वित्तीय संस्था या नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से लिया जाता है।

[अधिसूचना सं. 36/2019/फा.सं. 370142/4/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 279 (अ), तारीख 01/04/2019 द्वारा संशोधित किया गया।

### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 2019

**G.S.R. 304(E).**—In exercise of powers conferred by sections 200 and 203 read with section 295 of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

### 1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Income-tax (3<sup>rd</sup> Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on 12<sup>th</sup> day of May, 2019.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix II-
- (A) in Form No. 16,-
- (i) the "Notes" occurring after "Part A" shall be omitted;
- (ii) for "Part B (Annexure), the following shall be substituted, namely:-

## "Part B (Annexure)

Detai	lls of Salary Paid and any other income and tax deducted			
1.	Gross Salary			
(a)	Salary as per provisions contained in section 17(1)		Rs	
(b)	Value of perquisites under section 17(2) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs	
(c)	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No. 12BA, wherever applicable)		Rs	
d)	Total			Rs
e)	Reported total amount of salary received from other employer(s)			Rs
	Less: Allowances to the extent exempt under section 10			
(a)	Travel concession or assistance under section 10(5)		Rs	
b)	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10)		Rs	
c)	Commuted value of pension under section 10(10A)		Rs	
(d)	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA)		Rs	
(e)	House rent allowance under section 10(13A)		Rs	
(f)	Amount of any other exemption under section 10			
	clause	Rs		
		Rs		
(g)	Total amount of any other exemption under section 10		Rs	
(h)	Total amount of exemption claimed under section 10 [2(a)+2(b)+2(c)+2(d)+2(e)+2(g)]			Rs
3.	Total amount of salary received from current employer [1(d)-2(h)]			Rs
1.	Less: Deductions under section 16		l	
(a)	Standard deduction under section 16(ia)		Rs	
(b)	Entertainment allowance under section 16(ii)		Rs	
(c)	Tax on employment under section 16(iii)		Rs	
5.	Total amount of deductions under section 16 [4(a)+4(b)+4(c)]			Rs
6.	Income chargeable under the head "Salaries" [(3+1(e)-5]			Rs
7.	Add: Any other income reported by the employee under as per secti	on 192 (2B)	L	l
(a)	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS		Rs	
(b)	Income under the head Other Sources offered for TDS		Rs	
8.	Total amount of other income reported by the employee [7(a)+7(b)]			Rs
9.	Gross total income (6+8)			Rs
10.	Deductions under Chapter VI-A			

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

			T a		
			Gross Amount	Deductible Amount	
(a)	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C		Rs	Rs	
(b)	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC		Rs	Rs	
(c)	Deduction in respect of contribution by taxpayer to pension scheme under section 80CCD (1)		Rs	Rs	
(d)	Total deduction under section 80C, 80CCC and 80CCD(1)		Rs	Rs	
(e)	Deductions in respect of amount paid/deposited to notified pension scheme under section 80CCD (1B)		Rs	Rs	
(f)	Deduction in respect of contribution by Employer to pension scheme under section 80CCD (2)		Rs	Rs	
(g)	Deduction in respect of health insurance premia under section 80I	)	Rs	Rs	
(h)	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E	1	Rs	Rs	
		Gross Amount	Qualifying Amount	Deductible Amount	
(i)	Total Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G	Rs	Rs	Rs	
(j)	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA	Rs	Rs	Rs	
(k)	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A				
	section	Rs	Rs	Rs	
	section	Rs	Rs	Rs	
	section	Rs	Rs	Rs	
	section	Rs	Rs	Rs	
	section	Rs	Rs	Rs	
	section	Rs	Rs	Rs	
		Rs	Rs	Rs	
(1)	Total of amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A	Rs	Rs	Rs	
11.	Aggregate of deductible amount under Chapter VI-A [10(a)+10(b)+10(c)+10(d)+10(e)+10(f)+10(g)+10(h)+10(i) 10(j)+10(l)]			Rs	
12.	Total taxable income (9-11)			Rs	
13.	Tax on total income			Rs	
14.	Rebate under section 87A, if applicable			Rs	
15.	Surcharge, wherever applicable			Rs	
16.	Health and education cess			Rs	
17.	Tax payable (13+15+16-14)			Rs	
18.	Less: Relief under section 89 (attach details)			Rs	
19.	Net tax payable (17-18)			Rs	
	Verification	•	•		
correc	, son/daughter of	formation given and other availa	above is truable records.	e, complete and	
Place		(Signature of person responsible for deduction of tax)			
Date.		Full Name:			

### **Notes:**

- 1. Government deductors to fill information in item I of Part A if tax is paid without production of an income-tax challan and in item II of Part A if tax is paid accompanied by an income-tax challan.
- 2. Non-Government deductors to fill information in item II of Part A.
- 3. The deductor shall furnish the address of the Commissioner of Income-tax (TDS) having jurisdiction as regards TDS statements of the assessee.
- 4. If an assessee is employed under one employer only during the year, certificate in Form No. 16 issued for the quarter ending on 31st March of the financial year shall contain the details of tax deducted and deposited for all the quarters of the financial year.
- 5. (i) If an assessee is employed under more than one employer during the year, each of the employers shall issue Part A of the certificate in Form No. 16 pertaining to the period for which such assessee was employed with each of the employers.
- (ii) Part B (Annexure) of the certificate in Form No.16 may be issued by each of the employers or the last employer at the option of the assessee.
- 6. In Part A, in items I and II, in the column for tax deposited in respect of deductee, furnish total amount of tax, surcharge and health and education cess.
- 7. Deductor shall duly fill details, where available, in item numbers 2(f) and 10(k) before furnishing of Part B (Annexure) to the employee.";

(B) in Form No. 24Q, for "Annexure II", the following "Annexure" shall be substituted, namely:-

	"Annexure II												
	Details of salary paid or credited during the financial yearand net tax payable												
Serial number.	Permanent Account Number of the employee.	Name of the employee.	Deductee type (Senior Citizen, Super Senior Citizen, Others).	Date from and date up to employed with current employer in the current financial year (dd/mm/yyyy).	Gross Salary as per provisions contained in section 17(1).	Value of perquisites under section 17(2) (as per FormNo.12BA, wherever applicable).	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No.12BA, wherever applicable).	Total amount of gross salary received from current employer (see Note 1 for definition of Salary).					
(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)					

Reported total amount of salary received from other employer(s) (see Note 1 for definition of Salary).	Travel concession or assistance under section 10(5).	Death- cum- retireme nt gratuity under section 10(10).	Commuted value of pension under section 10(10A).	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10 (10AA).	House rent allowance under section 10(13A).	PAN of landlord, if exemption is claimed under section 10(13A) (see Note 3).	Amount of any other exemption under section 10.	Total amount of exemption claimed under section 10 (340+341+3 42+343+34 4+346).	Total deducti on under section 16(ia).
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

Total	Total	Income	Income	PAN of	Income	Gross total	Deduction in	Deduction	Deduction
deduction	deduction	chargeable	(or	lender, if	under	income	respect of	in respect	in respect
under	under	under the	admissible	interest	the head	(351+352+	life	of	of
section	section	head	loss) from	on	other	354).	insurance	contribution	contribution
16(ii).	16(iii).	"Salaries"	house	housing	sources		premia,	to certain	by taxpayer
		[338+339-	property	loan is	offered		contributions	pension	to notified
		(347+348+	reported	claimed	for TDS		to provident	funds under	pension
		349+350)].	by	under	as per		fund etc.	section	scheme
			employee	section	section		under	80CCC.	under
			offered for TDS	24(b)	192		section 80C.		section
			-	(see Note 4).	(2B).				80CCD(1).
			as per section	11016 4).					
			192 (2B).						
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

Deduction in respect of amount paid or deposited under notified pension	Deduction in respect of contribution by employer to notified pension scheme under	Deducti on in respect of health insuranc e premia under	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E.	Total deduction in respect of donations to certain funds, charitable	Deducti on in respect of interest on deposits in	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A.	Total amount deductible under Chapter VI-A [356+357+358 (limited to Rs. 1,50,000) +359+360	Total taxable income (355-366).	Incometax on total income.
scheme under section 80CCD (1B).	section 80CCD(2).	section 80D.		institutions, etc. under section 80G.	savings account under section 80TTA.	265	+361+362 +363+364 +365].	(2.57)	(269)
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)

	 		 _	 

Rebate under section 87A, if	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income-tax relief under section 89,	Net tax liability [368+370+371-(369+372)].	Total amount of tax deducted at source by the current	Reported amount of tax deducted at source by	Total amount of tax deducted	Shortfall in tax deduction (+) or
applicable.			when salary, etc. is paid in arrear or advance.		employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	at source for the whole year (374+375).	excess tax deduction (-) (373- 376).
(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)

#### **Notes:**

- 1. Salary includes wages, annuity, pension, gratuity (other than exempted under section 10(10)), fees, commission, bonus, repayment of amount deposited under the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 (8 of 1974), perquisites, profits in lieu of or in addition to any salary or wages including payments made at or in connection with termination of employment, advance of salary, any payment received in respect of any period of leave not availed (other than exempted under section 10 (10AA)), any annual accretion to the balance of the account in a recognised provident fund chargeable to tax in accordance with rule 6 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any sums deemed to be income received by the employee in accordance with sub-rule (4) of rule 11 of Part A of the Fourth Schedule of the Income-tax Act, 1961, any contribution made by the Central Government to the account of the employee under a pension scheme referred to in section 80CCD or any other sums chargeable to income-tax under the head 'Salaries'.
- 2. Where an employer deducts from the emoluments paid to an employee or pays on his behalf any contributions of that employee to any approved superannuation fund, all such deductions or payments should be included in the statement.
- 3. Permanent Account Number of landlord shall be mandatorily furnished where the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees.
- 4. Permanent Account Number of lender shall be mandatorily furnished where the housing loan, on which interest is paid, is taken from a person other than a Financial Institution or the Employer.".

[Notification No. 36/2019/F.No. 370142/4/2019-TPL]

SAURABH GUPTA, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

**Note:** The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E) dated the 26th of March, 1962 and were last amended vide notification number G.S.R No. 279(E) dated 01/04/2019.